



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 145/2021

कुमारी मेधा गोयल पिता मोहन गोयल , आयु लगभग 20 वर्ष , निवासी दयालबंद, गुरुनानक स्कूल, एफ. सी. आई. गोदाम के पास, लिंगियाडीह, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी (ओं)

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना सरकंडा के द्वारा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील संख्या 437/2021

1- श्रीमती बेबी मंडले पति बलराम मंडले उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम अमने, थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, वर्तमान पता गुरुघासीदास मंदिर के पास, तारबाहर, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

2 - योगेश मंडले पिता बलराम मंडले 26 वर्ष, निवासी गाँव आमने, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3 - बलराम मांडले पिता स्वर्गीय सहसराम मांडले उम्र लगभग 46 वर्ष निवासी ग्राम अमने, थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, वर्तमान पता रजक-ईशोर नगर, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4 - अभिषेक मंडले पिता बलराम मंडले 21 वर्ष निवासी गुरु घासीदास मंदिर तारबाहर, पुलिस थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी (ओं)

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़।



--उत्तरवादीगण

दाण्डिक अपील सं 145/2021

अपीलार्थियों हेतु :श्री सिद्धांत तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री एस. एस. बघेल, उप शासकिय अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 437/2021

अपीलार्थियों हेतु :श्री शिवेंदु पांड्या, अधिवक्ता

उत्तरवादी /राज्य हेतु :श्री एस. एस. बघेल, उप शासकिय अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीशतथामाननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा न्यायाधीशपीठ पर निर्णयअरविंद कुमार वर्मा न्यायाधीश के अनुसार,01.05.2025

- दाण्डिक अपील संख्या 145/2021 में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धांत तिवारी और दाण्डिक अपील संख्या 437/2021 में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंदु पांड्या को सुना गया। साथ ही उत्तरवादी/राज्य की ओर से पेश हुए उप शासकिय अधिवक्ता श्री एस.एस. बघेल को भी सुना गया।
- अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415(2)) के तहत दायर यह दाण्डिक अपील, सत्र प्रकरण संख्या 66/2019 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश दिनांक 19.01.2021 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है,

जिसके तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंड पारित किया गया :-

धाराओं के तहत दोषसिद्धि	दंड
-------------------------	-----



भारतीय दंड संहिता हेतु धारा 364	10 वर्ष का कठोर कारावास (सभी अपीलकर्ताओं के लिए) और 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 328	10 वर्ष का कठोर कारावास (सभी अपीलकर्ताओं के लिए) तथा 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-बी	सभी अपीलकर्ताओं के लिए आजीवन कठोर कारावास तथा 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता हेतु धारा 201	3 वर्ष का कठोर कारावास (सभी अपीलकर्ताओं के लिए) तथा 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

3. अभियोजन का प्रकरण , संक्षेप में, यह है कि परिवादी राजकुमारी रातड़े द्वारा पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में गुमशुदगी रिपोर्ट क्रमांक 01/2019 के रूप में दर्ज कराई गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि उसका पुत्र तरुण रातड़े 01.01.2019 को दोपहर लगभग 2:00 बजे ट्रैफिक पुलिस थाना बिलासपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर के अपने काम पर गया था और जब वह रात 10:00 बजे तक वापस नहीं लौटा, तो परिवार के सदस्यों ने उसके बारे में पूछताछ की और जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो 02.01.2019 को गुमशुदगी का परिवाद क्रमांक 1/19 के तहत पी.एस. सरकंडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें सह-अभियुक्त बेबी मंडले के विरुद्ध संदेह जताया गया था।

4. बलराम के ज्ञापन कथन के आधार पर, शव बरामद किया गया (एक्स.पी-12), मर्ग सूचना एक्स.पी45 के माध्यम से दर्ज की गई और धारा 365/34, 120 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 9/2019 एक्स.पी/46 और एक्स.पी47 के माध्यम से पंजीकृत की गई। पटवारी द्वारा स्पॉट मैप (एक्स.पी/27) तैयार किया गया। अभियुक्त को एक्स.पी/20 से 24 के माध्यम से हिरासत में लिया गया, और संपत्ति जब्ती ज्ञापन एक्स.पी/32, 35, 41 और 42 के माध्यम से। पुलिस द्वारा एक्स.पी/50 के माध्यम से अपराध विवरण प्रपत्र तैयार किया गया था। जब्त संपत्ति को प्र.पी./51 के तहत जांच के लिए राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया और रिपोर्ट प्राप्त हुई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए तथा साक्षियों को बुलाने के बाद मृतक के शव की जांच तैयार की गई।



5. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) भेजा गया।

डॉ. प्रदीप अग्रवाल (पीडब्लू-19) ने प्र.पी.-44 के तहत पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाई:-

(i) शव की बाह्य जांच से पता चला कि मृतका की गर्दन और पैर आगे की ओर मुड़े हुए थे तथा बंधे हुए थे। दोनों हाथ पीछे की ओर रस्सी और दुपट्टे से बंधे हुए थे। दोनों पैर एड़ियों के पास हरे रंग के तौलिये से बंधे हुए थे तथा गर्दन पर सफेद रंग का दुपट्टा बंधा हुआ था, जिसे ल्यूकोप्लास्ट से चिपकाया गया था।

(ii) शव पर पोस्टमार्टम के बाद की कोई कठोरता नहीं थी, नाक और मुंह से खून बह रहा था, चेहरा सूजा हुआ था, आंखें बंद थीं, आंख का कॉर्निया सफेद हो गया था, कंजक्टिवा बंद था और उसके नीचे खून जमा था, आंख की पुतलियां बाहर निकली हुई थीं, मुंह आधा खुला था, जीभ बाहर निकली हुई थी और दांतों के बीच चबायी हुई थी, चेहरा बंद था, नाखून बंद थे, पेट फूला हुआ था, छाती से कई जगह चमड़ी निकल रही थी, छाती का ऊपरी हिस्सा ज्यादा बंद था, गर्दन से लिंगेचर हटाने पर गर्दन की चमड़ी आगे की तरफ से फटी हुई थी, गर्दन के पीछे लिंगेचर का निशान मौजूद था। कपड़ों पर नमक मौजूद था। उन्होंने कहा कि मृत्यु का कारण गला घोटने से दम घुटना था और मृत्यु हत्यात्मक की प्रकृति की थी।

6. साक्षियों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। अन्वेषण पश्चात् यह पाया गया कि तरुण रातड़े की मौत अभियुक्तगण/अपीलकर्ताओं द्वारा गला घोटने के कारण दम घुटने से हुई। अभियुक्त को भा.दं. सं. की धारा 302, 201, 365, 120 बी, 328, 342, 364 , 1860 के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी/न्यायालय आत्मसमर्पण ज्ञापन एक्स.पी/20 से 24 के अनुसार तैयार किया गया था। इसके बाद, विधि के अनुसार सुनवाई और निपटान के लिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर जिला बिलासपुर (सीजी) के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था।

7. अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने दोष से इनकार कर दिया और साक्षी पेश किए। अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 30 साक्षियों की परीक्षण किया और 70 दस्तावेज प्रदर्शित किए। बचाव पक्ष ने न तो किसी साक्षी का परीक्षण किया और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित किया है।

8. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने और यह विचार करने के बाद कि यह अपीलकर्ता है जिसने अपने पति की हत्या की है, उसे भा.दं. सं. की धारा 302 सहपठित धारा 120 बी, 201, 328, 364 के तहत दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया , जिसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत वर्तमान अपील पेश की गई है।

अपीलार्थियों तथा मृतक के परिवार मध्य संबंध:-----

सं. क्रमांक	विवरण	संबंध
-------------	-------	-------



1	बेबी मंडले (अभियुक्त संख्या 1) (यहाँ अपीलकर्ता क्रमांक 1)	• बलराम मंडले की पत्नी (अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 3) • नीलेश मंडले की मां (मृत्यु), योगेश मंडले (अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 2) और अभिषेक मंडले (अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 4) • शांतनु रत्ते की दूसरी पत्नी (पीडब्लू-2) • मृतक "तरुण रत्ते" की सौतेली माता
2.	मेघा गोयल (अभियुक्त संख्या 05)	• कथित तौर पर पहले नीलेश मंडले (मृत) के साथ प्रेम संबंध था। • कथित तौर पर मृतक तरुण रातड़े के साथ प्रेम संबंध था
3	तरुण रातड़े (मृतक)	• शांतनु रातड़े (पीडब्लू-2) और राजकुमारी रातड़े (पीडब्लू-1) का पुत्र • पूजा रातड़े (पीडब्लू-3) का भाई • बेबी मंडले (अभियुक्त सं 1) का सौतेला पुत्र

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धांत तिवारी और अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंदु पंड्या ने संयुक्त रूप से तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी इस तथ्य पर आधारित है कि क्लोरोफॉर्म मेहता की दुकान से उसका आधार कार्ड दिखाकर खरीदा गया था, हालांकि दुकान के मालिक पीडब्लू-16 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस ने क्लोरोफॉर्म की एक बोतल और खरीद बिल के अलावा कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया। जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी-19) के अनुसार, सह-अभियुक्त बेबी मंडल से अंग्रेजी में क्लोरोफॉर्म लिखे टैग वाली कांच की बोतल जब्त की गई थी, हालांकि जांच अधिकारी (पीडब्लू-23) ने अपने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि बोतल पर ग्लिसरीन नाम का टैग लगा था अपराध के समय इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर अर्थात 7440882496 पी.डब्लू.-10 का था और अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा इसका इस्तेमाल कैसे किया गया।

10. विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे प्रस्तुत किया कि संदेह के आधार पर अभियुक्तों को केवल साक्षियों के ज्ञापन बयान और जब्ती के आधार पर ही प्रश्नगत अपराध में फंसाया गया था। परिवादी की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी राजकुमारी रातड़े ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयान के विपरीत एक विरोधाभासी बयान विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिया, इसलिए उसके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष का मामला अत्यधिक संदिग्ध हो गया। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्वेषण अधिकारी ने अपराध स्थल की तस्वीरों और वीडियो वाली आरोप पत्र के साथ एक सीडी (अनुच्छेद 1) पेश की, लेकिन



उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1875 की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं किया गया है।

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में कोई चश्मदीद गवाह या अंतिम बार देखा गया व्यक्ति नहीं है और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराध में शामिल करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं की जा सकी। यह विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य (2015) 12 एससीसी 644 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के यह सुस्थापित सिद्धांत हैं कि जब घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। सामान्य सिद्धांत यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जाता है, उन्हें स्पष्ट रूप से तथा दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए; कि ये परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर अचूक रूप से इंगित करती हों; कि संचयी रूप से ली गई परिस्थितियां एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए तथा उनकी निर्दोषता के साथ असंगत होनी चाहिए। अतः, वर्तमान अपीलकर्ता प्रश्नगत अपराध से दोषमुक्त होने के हकदार हैं। इसलिए, भले ही पूरे मामले को उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए, मामला आईपीसी की धारा 304 भाग-II से आगे नहीं जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य संदिग्ध प्रकृति के हैं और उन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, खासकर हत्या के जघन्य अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए, इसलिए, अपीलकर्ता संदेह के लाभ के लिए पात्र है। उन्होंने आगे कहा कि जब्ती साक्षी (पीडब्लू-7) मुकर गया है। अभियोजन पक्ष सेल फोन लोकेशन के आधार पर यह साबित करने में विफल रहा है कि वर्तमान अपीलकर्ता अपराध के कमीशन में शामिल था। 12. दूसरी ओर, उत्तरवादी /राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री वसीम मियां ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों अर्थात् श्रीमती राजकुमारी रातड़े (पीडब्लू-1), शांतनु रातड़े (पीडब्लू-2), पूजा रातड़े (पीडब्लू-3), विप्लव यादव (पीडब्लू-4), इमरान (पीडब्लू-7), एसआई आर.ए. यादव (पीडब्लू-23), दिलीप तिवारी (पीडब्लू-17), मनोज कुमार गरेवाल (पीडब्लू-18), डॉ. प्रदीप अग्रवाल (पीडब्लू-19), डॉ. संदीप द्विवेदी (पीडब्लू-20), एसआई नरेश साहू (पीडब्लू-25), रमेश कुमार (पीडब्लू-9) के बयान से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मृतक की हत्या आरोपी/वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा की गई है। अभियुक्त/अपीलार्थी मृतक की मृत्यु की व्याख्या करने में विफल रहे हैं। घटना की प्राथमिकी मृतक की मां राजकुमारी रातड़े (पीडब्लू-1) द्वारा दर्ज कराई गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध को सामने लाने में सक्षम रहा है और विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भा.दं. सं. की धारा 302 के साथ 120 बी, 201, 328, 364 के तहत अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है और इसलिए, अपील को खारिज किया जाना चाहिए।



13. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की सराहना करने के लिए, हमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करनी होगी।

14. विचारणीय पहला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय का यह मानना उचित था कि मृतक तरुण रातड़े की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी?

15. मृतक तरुण रातड़े के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. प्रदीप अग्रवाल (पीडब्लू-19) के बयान पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने एक्स.पी/44 के अनुसार स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि मृतक तरुण रातड़े की मौत गला घोटने के कारण हत्या की प्रकृति की थी। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित तथ्यात्मक निष्कर्ष है, जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। अन्यथा भी, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस पर गंभीरता से विवाद नहीं किया गया है। हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

16. विचारणीय अगला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा करके सही ढंग से यह माना है कि अपीलकर्ता अपराध के लेखक हैं:- (i) डॉ. प्रदीप अग्रवाल (पीडब्लू-19), जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/44) के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा हत्या से मृत्यु साबित हुई।

(ii) अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक तरुण रातड़े की मृत्यु का तथ्य अपीलकर्ताओं के ज्ञान में था, हालांकि, अपीलकर्ताओं द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत अपने बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार, ऐसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए सबूत का भार अपीलकर्ताओं पर था, जिसे वे स्पष्ट करने में विफल रहे।

21. वर्तमान मामले में, गला घोटने के परिणामस्वरूप हत्या से मृत्यु को अपीलकर्ताओं की ओर से पर्याप्त रूप से विवादित नहीं किया गया है। दूसरी ओर, अभियुक्तगण/अपीलकर्ताओं के ज्ञापन कथनों, अन्वेषण अधिकारी आर. ए. यादव (पीडब्लू-23), एफआईआर (एक्स.पी/12), डॉ. प्रदीप अग्रवाल (पीडब्लू-19) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/44) के साक्ष्यों से भी यह स्थापित होता है कि मृतक तरुण रातड़े की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी।

17. जहां तक विचाराधीन अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का संबंध है, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि मुख्यतः राजकुमारी रातड़े (पीडब्लू-1) विप्लव यादव (पीडब्लू-4), जांच अधिकारी आर. ए. यादव (पीडब्लू-19) और डॉ. प्रदीप अग्रवाल (पीडब्लू-19) विप्लव यादव (पीडब्लू-04) के साक्ष्यों पर आधारित है और अभियुक्तगण/अपीलकर्ताओं ने स्वयं भी अपने ज्ञापन कथन में पूरी घटना का वर्णन किया है।

18. राजकुमारी रातड़े (पी.डब्लू.-1) मृतक की मां है तथा उसने बताया है कि दिनांक 01.01.2019 को उसका बेटा दोपहर 02:00 बजे काम पर घर से निकला था। जब वह घर वापस नहीं आया तो दिनांक 02.01.2019 को वह अपनी बेटी के साथ पुलिस थाना सरकंडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी। उसने बताया कि जब



वह थाने से घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके पति शांतनु का बेबी मंडले से झगड़ा हुआ था और उसका पति उसी मोहल्ले में अलग किराए के मकान में रहने लगा था और उसे यह भी पता चला कि बेबी मंडले का एक बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में अपीलकर्ताओं को उसके पति और मृतक तरुण पर संदेह था। 03.01.2019 को पुलिस ने उसके पति शांतनु को बताया कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसके बेटे तरुण का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है और शव को ग्राम अमने में गड्ढा खोदकर दफना दिया है, तब उसका पति और उसका दोस्त पुलिसकर्मियों के साथ उस स्थान पर गए जहां शव को दफनाया गया था।

19. विप्लव यादव (पीडब्लू-4) मृतक का मित्र है और उसने अपने बयान में कहा है कि बेबी मंडले के बेटे नीलेश मंडले की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, अपीलकर्ताओं को उसकी हत्या के लिए तरुण रातड़े पर संदेह था और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने तरुण रातड़े की हत्या कर दी। उसके बयान को चुनौती नहीं दी गई और प्रतिपरीक्षा में उसका खंडन नहीं किया गया।

20. अन्वेषण अधिकारी आर.ए. यादव (पी.डब्लू.-23) ने बताया कि अन्वेषण के दौरान उन्होंने अभियुक्त बेबी मंडले, बलराम मंडले, अभिषेक मंडले, सुश्री मेघा गोयल और योगेश मंडले को छठ घाट पुलिस सहायता केंद्र में बुलाकर उनसे साक्षी विप्लव यादव और इमरान की मौजूदगी में परीक्षा करने पर अभियुक्त बलराम मंडले ने मेमोरेंडम कथन (एक्स.पी-7) दिया था, जिसमें अभियुक्त बलराम मंडले ने बताया कि 01.01.2019 को उन्होंने तरुण रातड़े को ग्राम अमने स्थित अपने पंप हाउस में दफना दिया था। अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान का पंचनामा (एक्स.पी-11) तैयार किया गया और खुदाई करने पर मृतक का शव दिखाई दिया और मिट्टी में नमक मिला, जो संभवतः शव को जल्दी सड़ाने के लिए डाला गया था। उसने शव को छिपाने के लिए गड्ढा खोदने में उपयोग किए गए कुदाल, बेलचा और सरिया को अपने खेत के पंप हाउस में छिपा दिया था। अभियुक्त बलराम मंडले के कथनानुसार, उसके ग्राम अमने स्थित पंप हाउस से एक नग लोहे का डंडा, एक नग फावड़ा तथा एक नग फावड़ा तथा एक नग लोहदंड को गवाह विप्लव तथा इमरान के समक्ष जब्त किया गया। उन्होंने अपने कथन में बताया कि अभिषेक मंडले ने ज्ञापन कथन (प्रत्यक्ष पी 4) देकर तरुण का शव छिपाने की बात बताई, अभियुक्त मेघा का मोबाइल, मृतक तरुण का मोबाइल, मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 10 एनए 0652, जूते, बैंडेज व्हील को प्रत्यक्ष पी-16 और प्रत्यक्ष पी-17 के तहत जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त सुश्री मेघा गोयल ने साक्षियों के समक्ष ज्ञापन कथन (प्रत्यक्ष पी-9) दिया था कि उसने मेहता की दुकान में क्लोरोफॉर्म खरीदने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी थी, जिसे जब्त कर लिया गया है (प्रत्यक्ष पी-29)। उन्होंने बताया कि अभियुक्त योगेश मंडले ने अपने मेमोरेंडम स्टेटमेंट (एक्स.पी-10) में बताया था कि उसने कार क्रमांक सीजी 10 जेडडी 1631 को छिपाया था, जिसमें वह शव को लेकर ग्राम अमने गया था तथा बरामद कर लिया था, जिसके आधार पर उसने कार एवं बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल को जब्ती मेमो (एक्स.पी-18) में दिए गए विवरण के अनुसार जब्त किया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त बेबी मंडले ने अपना ज्ञापन (एक्स.पी-6) देकर बताया है कि उसने क्लोरोफॉर्म की बोतल किराए के मकान में छिपाई है और उसके कथनानुसार उसने



राजकिशोर नगर स्थित किराए के मकान (एक्स.पी-19) से 500 मिली की बोतल जिसमें 150 मिली क्लोरोफॉर्म था और एक मोबाइल जिसका सिम क्रमांक 881 था, जब्त किया है।

21. विप्लव यादव (पीडब्लू-04) जो मृतक का मित्र है और उसके समक्ष अभियुक्त /अपीलार्थी का ज्ञापन बयान दर्ज किया गया, ने बताया है कि अभियुक्त अभिषेक ने उसे बताया था कि उसने मृतक तरुण के जूते और बँडेज चकरी, जिससे उसका मुंह बंधा हुआ था, को ग्राम घुटकुर के पास तालाब में छिपा दिया है और मृतक तरुण की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन को ग्राम सेंदरी के पास तालाब के पास छिपा दिया है। अभियुक्त अभिषेक मांडले से मृतक तरुण रातड़े का जूता और बँडेज चकरी जब्त किया गया।

22. इरफान खान (अ.सा.-7) जो मृतक का मित्र भी है तथा उसके समक्ष मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया, ने अपने कथन में बताया कि आरोपी बेबी मांडले ने पुलिस को बताया है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल राजकिशोर नगर स्थित किराए के मकान में रखी थी, तब उसने पुलिस अधिकारियों के साथ जाकर क्लोरोफॉर्म की बोतल निकाली जिसमें कुछ क्लोरोफॉर्म बचा था, आरोपी बेबी मांडले से क्लोरोफॉर्म की बोतल जब्त की गई, जिसका जब्ती ज्ञापन (EX.P-19)

23. डॉ. प्रदीप अग्रवाल (पीडब्लू-19) ने एक्स.पी/44 के अनुसार पोस्टमार्टम किया और मृतक के शरीर पर उपरोक्त चोटें पाई तथा कहा कि मौत का कारण गला घोटने से दम घुटना था तथा मौत हत्या की प्रकृति की थी

24. यह कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला नहीं है, बल्कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के सबूत के पंचशील का गठन करने वाले पांच स्वर्णिम सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 के मामले में निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:---

“(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को “अवश्य” या “स्थापित किया जाना चाहिए” और “स्थापित किया जा सकता है” नहीं;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या योग्य नहीं होना चाहिए;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उनमें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर रखा जाना चाहिए; और



(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

25. दिनांक 03.01.2019 को अपीलार्थीगण का ज्ञापन प्र.पी-6, प्र.पी-7, प्र.पी-8 प्र.पी-9 एवं प्र.पी-10 के अनुसार दर्ज किया गया, पूर्व में अभियुक्त मेघा गोयल का तरुण रातड़े से प्रेम संबंध था, जिसने तरुण रातड़े को राजकिशोर नगर स्थित किराये के मकान पर बुलाया, जहां मृतक को कॉफी में नींद की गोलियां खिलाई गईं तथा मृतक को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया, जिसके बाद उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए गए तथा मृतक की हत्या कर दी गई। बाद में मृतक को कार क्रमांक सीजी 10 जेडडी 1631 में ग्राम अमने ले जाया गया तथा मृतक को ग्राम अमने में आरोपी बलराम मंडले के खेत में दफना दिया गया। अभियुक्तगण के कथनानुसार मृतक का शव बरामद कर लिया गया (प्र.पी-12), कुदाल, मोबाइल फोन, अपराध में प्रयुक्त कार, मृतक की मोटरसाइकिल और जूते, क्लोरोफॉर्म की बोतल आदि जब्त कर ली गईं तथा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

26. यह सुस्थापित विधि है कि जब कोई अभियुक्त यह बताए बिना कि शव या आपत्तिजनक सामग्री उसने स्वयं छिपाई है, उस स्थान का संकेत दे देता है। तीन संभावनाएँ हैं; एक तो यह कि उसने खुद इसे छिपाया होगा। दूसरी यह कि अभियुक्त ने किसी और को इसे छिपाते हुए देखा होगा। और तीसरी यह कि उसने किसी और व्यक्ति को यह बताते हुए देखा होगा कि इसे वहाँ छिपाया गया था। लेकिन यदि अभियुक्त दंड न्यायालय को यह बताने से इनकार करता है कि उसे छिपाने के बारे में जानकारी अंतिम दो संभावनाओं में से किसी एक के कारण थी, तो दंड न्यायालय यह मान सकता है कि इसे अभियुक्त द्वारा स्वयं छिपाया गया था।

27. इस मामले में, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं विशेष रूप से बलराम द्वारा पुलिस अधिकारियों के समक्ष बताए गए ज्ञापन कथन से यह पता चलता है कि मृतक का शव बलराम अभियुक्त-अपीलकर्ता के खेत से बरामद किया गया था और मृतक को बलराम के घर के खेत में दफनाया गया था, यह जानकारी केवल अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के ज्ञान में थी और सभी अभियुक्तों ने अपने ज्ञापन कथन में मृतक-तरुण रातड़े को दफनाने के बारे में कहा था। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, उन्होंने उसे छिपाने के लिए किसी और को देखा है। इसलिए, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने खुद ही इसे छिपाया होगा।

28. पेरुमल राजा उर्फ पेरुमल बनाम राज्य, प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक 2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने "अभिरक्षा" को परिभाषित किया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत ""अभिरक्षा"" का अर्थ औपचारिक "अभिरक्षा" नहीं है। इसमें पुलिस द्वारा किसी भी तरह का प्रतिबंध, संयम या निगरानी भी शामिल है। भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया हो, लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आरोपी को पुलिस की अभिरक्षा में माना जाना चाहिए।

29. अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू.-23 आर. ए. यादव के अनुसार जब गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में अन्वेषण किया गया तो उन्हें पता चला कि बेबी मंडले के बेटे नीलेश मंडले की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी,



अपीलकर्ताओं ने उसकी हत्या के लिए तरुण रातड़े पर संदेह किया और उसी का बदला लेने के लिए अपीलकर्ताओं ने तरुण रातड़े की हत्या कर दी। और उस आधार पर कड़ी जांच की गई, इसलिए, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा एक्स.पी/6 से एक्स.पी/10 के माध्यम से दिया गया ज्ञापन कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत ज्ञापन होगा। ज्ञापन में अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा घटना और अपराध के घटित होने का वर्णन किया गया था, हालांकि, इस तरह का इकबालिया बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा। कुएं के अंदर शव का पाया जाना ही खोजा गया तथ्य होगा, जो प्रासंगिक होगा। 30. बॉबी बनाम केरल राज्य 3 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार अनुवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी सूचना के आधार पर की गई तलाशी में कोई तथ्य सामने आता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई सूचना सत्य है। सूचना स्वीकारोक्ति या गैर-दोषपूर्ण प्रकृति की हो सकती है, लेकिन यदि इससे किसी तथ्य का पता चलता है, तो यह विश्वसनीय सूचना बन जाती है। धारा 27 स्वीकारोक्ति कथन के उपयोग पर रोक लगाती है, लेकिन तथ्य यह है कि खोज और सूचना जो विश्वसनीय साबित हुई है, वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य होगी।

31. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना कमरे के अंदर हुई तथा शव को खेत में गाड़ दिया गया। घटना स्थल का नक्शा एक्स.पी/25 एवं 26 है। इससे पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान का पंचनामा (एक्स.पी-11) तैयार किया गया था तथा खुदाई करने पर मृतक का शव दिखाई दिया तथा मिट्टी में नमक मिला, जो संभवतः शव को शीघ्र सड़ाने के लिए डाला गया था। अभियुक्त/अपीलार्थी के कहने पर मेमोरेंडम कथन में कुदाल, मोबाइल फोन, अपराध में प्रयुक्त कार, मृतक की मोटरसाइकिल एवं जूते, क्लोरोफॉर्म की बोतल जब्त की गई। जब्त की गई वस्तुएं एफ.एस.एल. के लिए भेजी गई। सामान्य परिस्थितियों में घटनास्थल से बरामद इन वस्तुओं में खून के धब्बे नहीं होते हैं।

32. महबूब अली एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 4 के मामले में उच्चतम न्यायालय को तथ्यों की ऐसी मानसिक स्थिति से निपटने का अवसर मिला था, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए, इकबालिया बयान के अस्वीकार्य हिस्से को ऐसे तथ्य के रूप में खोजना होगा जो बरामदगी का तत्काल कारण था, केवल वही कानूनी साक्ष्य का हिस्सा होगा, बाकी नहीं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 'तथ्य' को संदर्भित करती है। 'तथ्य' शब्द को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है जिसे नीचे दोहराया गया है:---

"तथ्य" - "तथ्य" का अर्थ है तथा इसमें शामिल हैं -

(1) कोई भी चीज, चीजों की स्थिति, या चीजों का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है;

(2) कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत हो।

दृष्टांत-



(क) यह एक तथ्य है कि कुछ वस्तुएँ एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं।

(ख) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा है।

(ग) कि एक आदमी ने कुछ शब्द कहे, यह एक तथ्य है।

(घ) कि एक व्यक्ति एक निश्चित राय रखता है, एक निश्चित इरादा रखता है, सद्भावना से कार्य करता है, या धोखाधड़ी से कार्य करता है, या एक विशेष अर्थ में एक विशेष शब्द का उपयोग करता है, या एक निर्दिष्ट समय पर किसी विशेष संवेदना के प्रति सचेत है या था, यह एक तथ्य है।(ई) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति की एक निश्चित प्रतिष्ठा होती है।"

33. महबूब अली (सुप्रा) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि धारा 27 के तहत तथ्यों की खोज, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी, साजिश का आरोप स्थापित करने के लिए, सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार्य होगी। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामले में कंडिका 16, 17 और 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"16. इस न्यायालय ने राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू मामले में धारा 27 में संदर्भित तथ्य की खोज के प्रश्न पर विचार किया है। इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों पर विचार किया है तथा पुलुकुरी कोट्टाया बनाम एम्परर एआईआर 1947 पीसी 67] के निर्णय की व्याख्या की है और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:(नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600, एससीसी पी।704, कंडिका 125-27)

"125. हमारा मानना है कि कोट्टाया केस [एआईआर 1947 पीसी 67] इस प्रस्ताव के लिए एक प्रमाण है कि "तथ्य की खोज" को उत्पादित या पाई गई वस्तु के बराबर नहीं माना जा सकता है। यह उससे कहीं अधिक है। तथ्य की खोज इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना ने किसी विशेष स्थान पर उसके अस्तित्व के बारे में सूचना देने वाले के ज्ञान या मानसिक जागरूकता को प्रदर्शित करती है।

126. अब हम इस न्यायालय के उन उदाहरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कोट्टाया मामले के अनुसरण में आए हैं।कोट्टाया मामले में निर्णय का अनुपात, ऊपर उद्धृत रेखांकित अंश में परिलक्षित होता है, जिसे इस न्यायालय के कई निर्णयों में उजागर किया गया था।

127. कोट्टाया मामले में अनुपात के मर्म को इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू, (2000) 6 एससीसी 269 में स्पष्ट किया गया था।थॉमस न्यायाधीश ने देखा कि:(एस. सी. पी. 283, कंडिका 35)'35पुलुकुरी कोट्टाया बनाम एम्परर, एआईआर 1947 पीसी 67 में प्रिवी काउंसिल का निर्णय



इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकारी है कि धारा में परिकल्पित 'खोजे गए तथ्य' में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु का उत्पादन किया गया था, इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान, लेकिन दी गई जानकारी उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए।' मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य [1976 1 एससीसी 828] में, सरकारिया, जे. ने यह स्पष्ट करते हुए कि धारा 27 में अभिव्यक्ति "खोजे गए तथ्य" एक भौतिक या भौतिक तथ्य तक सीमित नहीं है जिसे इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है, और इसमें एक मानसिक तथ्य भी शामिल है, पुलुकुरी कोट्टाया मामले, एआईआर 1947 पीसी 67 में निर्धारित की गई बातों का सार देकर अर्थ की व्याख्या की। विद्वान न्यायाधीश ने पीठ की ओर से बोलते हुए इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृ. 832, कंडिका 13)

'13.....अब यह पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि 'खोजे गए तथ्य' में न केवल उत्पादित भौतिक वस्तु शामिल है, बल्कि वह स्थान जहां से इसे उत्पादित किया गया है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान भी शामिल है (देखें पुलुकुरी कोट्टाया बनाम एम्परर, एआईआर 1947 पीसी 67; उदय भान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1962 सप (2) एससीआर 830])।"

17. महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू [एआईआर 2000 एससी 1691] में अभियुक्त द्वारा दिया गया बयान कि बच्चे के शव को एक विशेष स्थान तक ले जाया गया था और घटनास्थल से बरामद एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा सह-अभियुक्त की मोटरसाइकिल की टेल लैंप का हिस्सा पाया गया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर उक्त उद्देश्य के लिए किया गया था। यह कथन इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि अभियुक्त ने एक विशेष मोटरसाइकिल द्वारा शव को उक्त स्थान तक ले जाया था, साक्ष्य में स्वीकार्य होगा। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है: (एस. सी. सी. पीपी. 282-83, कंडिका 35-38)

"35. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार अनुवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी सूचना के आधार पर की गई तलाशी में कोई तथ्य पाया जाता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। सूचना प्रकृति में इकबालिया या गैर-दोषपूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि इससे किसी तथ्य का पता चलता है तो यह विश्वसनीय सूचना बन जाती है। इसलिए विधायिका ने स्वीकार्य हिस्से को न्यूनतम तक सीमित करके ऐसी सूचना को सबूत के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। अब यह सुस्थापित हो गया है कि किसी वस्तु की पुनर्प्राप्ति किसी तथ्य की खोज नहीं है जैसा कि खंड में परिकल्पित है। पुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट एआईआर 1947 पीसी 67 में प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकारी है कि धारा में परिकल्पित "खोजे गए तथ्य" में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु का उत्पादन किया गया था, अभियुक्त का उसके बारे में ज्ञान, लेकिन दी गई जानकारी उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए।



36. निस्संदेह, साक्ष्य में स्वीकार की जाने वाली जानकारी उस जानकारी के उस हिस्से तक सीमित है जो "स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित है"। परंतु स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए जानकारी को इतना छोटा नहीं किया जाना चाहिए कि वह असंवेदनशील या समझ से परे हो जाए। स्वीकार की गई जानकारी की सीमा समझने योग्य होनी चाहिए। इस मामले में, पी.डब्ल्यू. 44 द्वारा खोजा गया तथ्य यह है कि ए-3 मुकिन्दा थोरात ने दीपक के शव को मोटरसाइकिल पर घटनास्थल तक पहुंचाया था।

37. विशेष जानकारी से तथ्य की खोज कैसे हुई? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दीपक का शव उसी नहर से बरामद किया जाना पी.डब्ल्यू. 44 द्वारा प्राप्त सूचना से पहले की बात है। यदि अभियुक्त से सूचना प्राप्त करने के बाद और उसके बाद कुछ भी बरामद नहीं किया गया होता, तो किसी भी तथ्य की खोज नहीं हो पाती है। लेकिन जब उस स्थान से कांच का टूटा हुआ टुकड़ा बरामद किया गया और वह टुकड़ा ए-2 गुरुजी की मोटरसाइकिल की टेल लैंप का हिस्सा पाया गया, तो यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि जांच अधिकारी ने इस तथ्य की खोज की थी कि ए-2 गुरुजी ने शव को उस विशेष मोटरसाइकिल पर उस स्थान तक ले जाया था।

38. तथ्य की उक्त खोज के मद्देनजर, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि ए-2 गुरुजी द्वारा दी गई जानकारी कि दीपक के शव को मोटरसाइकिल पर उस विशेष स्थान तक ले जाया गया था, साक्ष्य में स्वीकार्य है। अतः यह जानकारी अभियोजन पक्ष के मामले को उपर्युक्त सीमा तक साबित करती है।"

18. इस्माइल बनाम एम्परर [एआईआर 1946 सिंध 43] में यह माना गया कि जहां अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप पुलिस को एक अन्य सह-अभियुक्त मिल गया था, वहां सह-अभियुक्त के ठिकाने के बारे में अभियुक्त द्वारा पुलिस को दिया गया बयान अभियुक्त के खिलाफ सबूत के रूप में धारा 27 के तहत स्वीकार्य माना गया था।"

34. कॉल के बारे में और जानकारी दी गई है। धारा 04 के अनुसार मोबाइल नम्बर ...5084 मेघा गोयल के नाम पर था तथा मोबाइल नम्बर ...2496 राधेश्याम दीवान के नाम पर था। आईएमईआई नम्बर से पता चलता है कि दोनों नम्बरों का उपयोग आरोपी सुश्री मेघा गोयल द्वारा एक ही मोबाइल नम्बर से किया गया था। आरोपी सुश्री मेघा गोयल (एक्स.पी-70) के मोबाइल नंबर 2496 और मोबाइल नंबर 3326 के कॉल डिटेल के अवलोकन से यह साबित होता है कि मोबाइल नंबर 2496 से मृतक तरुण रातड़े के मोबाइल नंबर 3326 पर तीन कॉल किए गए थे। 01.01.2019 को 14:27:18 से 14:47:14 तक मृतक के फोन जबकि उसका टावर लोकेशन 8:48:14 बजे टाटीबंध में बताया गया है, 14 मृतक के फोन पर यह आखिरी कॉल थी। पर अंतिम कॉल थी। यह साबित होता है कि मृतक ने अंतिम बार मोबाइल नंबर 2496 से आरोपी सुश्री मेघा गोयल से बात की थी।

35. इसके अलावा, मोबाइल नंबर 881 आरोपी अभिषेक कुमार मंडले के नाम पर जारी किया गया था और आरोपी बेबी मंडले के रिकवरी मेमो के आधार पर उससे उक्त मोबाइल फोन जब्त किया गया था। उक्त फोन



नंबर की दिनांक 01.11.2018 से 03.01.2019 तक की कॉल डिटेल (एक्स.पी-77) तथा अभियुक्ता सुश्री मेघा गोयल के नाम से जारी मोबाइल नंबर 084 की दिनांक 01.11.2018 से 03.01.2019 तक की कॉल डिटेल देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता सुश्री मेघा गोयल अभियुक्ता अभिषेक मांडले अथवा उसकी मां अभियुक्ता बेबी मांडले के संपर्क में थी। दिनांक 01.01.2019 को 11:14:17 से 13:13:56 के मध्य दोनों मोबाइल नम्बरों पर लगातार दस बार सम्पर्क हुआ। इससे पता चलता है कि आरोपी मेघा गोयल ने तरुण रातड़े को फोन करके राजकिशोर नगर स्थित किराये के मकान में बुलाया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तरुण रातड़े को धोखे से किराये के मकान में बुलाया गया था।

36. षडयंत्र खुले स्थान पर नहीं रचा गया है। परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। साक्षियों के अनुसार जो क्रमिक घटनाक्रम हुआ, वह यह है कि बेबी मंडले के बेटे नीलेश मंडले की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, अपीलकर्ताओं ने उसकी हत्या के लिए तरुण रातड़े पर संदेह किया, जिससे विवाद बढ़ गया, जैसा कि विप्लव यादव (पीडब्लू-4) ने कहा है। घटना दिनांक 01.01.2019 को अरुण रातड़े दोपहर करीब 2:00 बजे यातायात थाना बिलासपुर में अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य पर गया था और रात्रि 10:00 बजे तक वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी खोजबीन की और कोई जानकारी नहीं मिलने पर थाना सरकंडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच की जा रही थी, तब जांच अधिकारी पीडब्लू-23 आर. ए. यादव को मृतका और अपीलकर्ताओं के बीच संबंधों के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस द्वारा जांच की गई और दबाव डालने पर पता चला कि अपीलकर्ता बेबी मंडले ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर योजना बनाना शुरू कर दिया और आरोपी सुश्री गोयल को तरुण रातड़े से संपर्क करने के लिए बुलाया। घटना दिनांक को मृतक को सुश्री मेघा गोयल ने राजकिशोर नगर, बिलासपुर स्थित किराये के मकान में बुलाया तथा बेबी मंडले को किराये के मकान में कहीं छिपा दिया तथा अभिषेक मंडले, योगेश मंडले एवं बलराम को किराये के मकान के बाहर छिपा दिया तथा जब मृतक किराये के मकान में आया तो मृतक को आरोपी सुश्री गोयल ने कॉफी में नींद की गोलियां खिला दी तथा जब उसे नींद नहीं आई तो मृतक को अपिलार्थियों ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया तथा उसके बाद उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए तथा मृतक की हत्या कर दी। बाद में मृतक को कार में अमने गांव ले जाया गया और मृतक को आरोपी बलराम मंडले के खेत में दफना दिया गया।

37. इसमें कोई संदेह नहीं कि षडयंत्र के मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकता है। अपराध के तत्व यह हैं कि जिन व्यक्तियों पर षडयंत्र रचने का आरोप है, उनके बीच एक समझौता होना चाहिए और उक्त समझौता एक अवैध कार्य करने के लिए या अवैध साधनों से ऐसा कार्य करने के लिए होना चाहिए जो स्वयं अवैध न हो। इसलिए, आपराधिक षडयंत्र का सार एक अवैध कार्य करने के लिए एक समझौता है और इस तरह के समझौते को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों द्वारा साबित किया जा सकता है, और यह सामान्य अनुभव की बात है कि षडयंत्र साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते



हैं। इसलिए, अभियुक्त की मिलीभगत के बारे में निर्णय लेने के लिए घटना से पहले, उसके दौरान और बाद में साबित की गई परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

38. राम नारायण पोपली बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 5 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 344 और 345 में इस प्रकार निर्णय दिया: 344. हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून (देखें 4 वां संस्करण, खंड 11, पृष्ठ 44, कंडिका 58) में, षड्यंत्र के बारे में अंग्रेजी विधि इस प्रकार कहा गया है:

"58. षड्यंत्र में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी गैरकानूनी कार्य को करने या गैरकानूनी तरीकों से किसी वैध कार्य को करने के लिए सहमति व्यक्त करना शामिल है। यह सामान्य कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए न्यायालय के विवेकानुसार कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। षड्यंत्र के अपराध का सार सहमति से संयोजन का तथ्य है। करार स्पष्ट या निहित हो सकता है, या आंशिक रूप से स्पष्ट और आंशिक रूप से निहित हो सकता है। करार होते ही षड्यंत्र उत्पन्न होता है और अपराध किया जाता है; और जब तक संयोजन बना रहता है, तब तक अपराध किया जाता रहता है, अर्थात् जब तक षड्यंत्रकारी करार अपने प्रदर्शन के पूरा होने या त्यागने या निराशा से या जो भी हो, समाप्त नहीं हो जाता है। किसी षड्यंत्र में 'एक्टस रीउस' अवैध कार्य को अंजाम देने के लिए सहमति है, न कि उसका क्रियान्वयन। यह पर्याप्त नहीं है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही समय या एक ही स्थान पर एक ही अवैध उद्देश्य का पीछा करें; किसी अवैध उद्देश्य को पूरा करने के लिए विचारों का मिलन, आम सहमति दिखाना आवश्यक है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साजिशकर्ता एक-दूसरे के संपर्क में रहे।"

345. षड्यंत्र के अपराध और किसी अन्य अपराध के साबित करने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। इसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। [देखिए: भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल बनाम राज्यमहाराष्ट्र [ए. आई. आर 1965 एस. सी. 682:(1965) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 608] (पृष्ठ 686 पर ए. आई. आर.)।

39. शव की बरामदगी किसी खुले स्थान से नहीं हुई थी। शव अभियुक्त बलराम के खेत के अन्दर था। शव को बलराम के खेत में खोदे गए गड्ढे में दफनाया गया था। जब पुलिस अधिकारी और साक्षी मौके पर गए तो खेत मिला, यानि तथ्य का पता चला। इसके बाद खुदाई करने पर मृतक का शव दिखा और मिट्टी में नमक मिला, जो संभवतः शव को जल्दी सड़ाने के लिए डाला गया था। तथ्य का पता अभियुक्त बलराम मंडले ने लगाया था। शव को बाहर निकालने पर पीडब्लू-2 शांतनु रातड़े द्वारा उसकी पहचान तरुण रातड़े के रूप में की गई। इसके बाद उसे शव परीक्षण हेतु भेज दिया गया। शव परीक्षण में, पीडब्लू-19 डॉ. प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि मृत्यु का कारण गला घोटने से होने वाला दम घुटना था तथा मृत्यु प्रकृति में हत्या थी।

40. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की निशानदेही पर कुदाल, तीन मोबाइल फोन, अपराध में प्रयुक्त कार, मृतक की मोटरसाइकिल और जूते, क्लोरोफॉर्म की बोतल जिससे घटना घटी, बरामद की गई। उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।



41. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है जो यह प्रावधान करता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकते हैं यदि वे अभियुक्त के अपराध के अनुरूप हों और किसी अन्य तर्कसंगत परिकल्पना के साथ असंगत हों। इस मामले में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ हैं जो एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं जो बार-बार अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती हैं। उपर्युक्त सभी परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती हैं, जो अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के आचरण को सबसे सटीक तरीके से दर्शाती हैं और परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करती हैं।

42. सुरेश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 6 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में न्यायालयों को उपलब्ध साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है, जिससे अभियुक्त के अपराध का पता चल सके। न्यायालय ने कंडिका 41 तथा 42 में इस प्रकार टिप्पणी की है:

41. उपर्युक्त परीक्षणों को परिस्थितिजन्य मामलों में साक्ष्य के पंचशील के रूप में संदर्भित किया जाता है (प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य देखें)। अपेक्षा यह है कि अभियोजन पक्ष के मामले में तथ्यात्मक परिस्थितियों और उनके निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक चित्रण होना चाहिए और एक विलक्षण परिकल्पना के साथ उनकी अनुकूलता होनी चाहिए जिसमें सभी मध्यवर्ती तथ्य और मामला स्वयं उचित संदेह से परे साबित होते हैं।

42. परिस्थितिजन्य साक्ष्य वे तथ्य हैं, जिनके आधार पर न्यायालय आगे अनुमान लगा सकता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच बहुत बड़ा अंतर है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, न्यायालयों को उपलब्ध साक्ष्य से अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है, जिससे अभियुक्त के अपराध का पता चल सकता है। अधिकांश मामलों में, दोष का अनुमान आम तौर पर मामले को उसकी शुरुआत से लेकर कमीशन के बिंदु तक स्थापित करके लगाया जाता है, जिसमें प्रत्येक तथ्यात्मक लिंक अंततः किसी तथ्य के साक्ष्य या उसके अनुमान पर आधारित होता है। इसलिए, न्यायालय को सबसे पहले तथ्यों की पहचान करनी होगी ताकि मामले को "चेन लिंक थ्योरी" के मापदंडों के भीतर फिट किया जा सके और फिर देखें कि क्या मामला उचित संदेह से परे है। भारत में हमने हनुमंत मामले के बाद से लंबे समय तक "चेन लिंक थ्योरी" हेतु पालन किया है, जिसके निश्चित रूप से यहां भी पालन करने की आवश्यकता है।

43. विधि के उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों, विचारण न्यायालय द्वारा अपने फैसले में दर्ज निष्कर्ष, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ताओं ने दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तथा अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के ज्ञापन कथनों पर विचार करते हुए, जिसमें अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के इस तथ्य का खुलासा किया गया है कि किस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण घटना की षड्यंत्र रची तथा मृतक को नींद की गोलियां खिलाई गई तथा उसके पश्चात उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसकी हत्या कर दी गई तथा उसके पश्चात उसे दफना दिया गया तथा अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के कहने पर पूर्वोक्त बरामदगी की गई, अतः अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक की गर्दन दबाकर किया गया कृत्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं का मृतक की हत्या करने का आशय था, अतः यह



स्पष्ट रूप से तथा विश्वसनीय रूप से दर्शाया गया है कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने ही पूर्वोक्त रूप से गला घोटकर मृतक की मृत्यु की, इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य से यह पता चलता है कि मृतक अभियुक्त बेबी मंडले का सौतेला पुत्र था, ऐसे मामले में मृतक की गर्दन पर पूर्वोक्त रूप से पाए गए घावों के कारण मृत्यु हुई, इस तथ्य का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का तथ्य है तथा इस संबंध में, जांच के दौरान अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की ओर से कोई बचाव नहीं किया गया है और इसलिए, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के साथ 120 बी, 201, 328, 364 के तहत अपराध के लिए सही ढंग से दोषी ठहराया है। हमें विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं मिली।

44. उपर्युक्त कारणों से, दोनों आपराधिक अपीलें, बिना आधार के, खारिज किए जाने योग्य हैं।

45. न्यायालय में यह कहा गया है कि अपीलकर्ता जेल में हैं, उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित दंड भुगतना होगा।

46. इस निर्णय तथा मूल अभिलेख की एक प्रति आवश्यक जानकारी हेतु तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

दाण्डिक अपील सं 145/2021

कुमारी मेघा गोयल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

**दाण्डिक अपील सं 437/2021**

श्रीमती बेबी मैडल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

हेड नोट :

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभिरक्षा केवल औपचारिक अभिरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, रोक और निगरानी भी शामिल है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में न्यायालयों को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है, जिससे अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है।

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।